भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 312
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

केरल में मछुआरा समुदायों को वित्तीय सहायता

312. श्री हैबी ईडन:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल तट पर एमएससी एल्सा 3 के डूबने और एमवी वान हाई 503 में आग लगने के बाद मछुआरों को मछली पकड़ने की गतिविधियों में हुए व्यवधान के बारे में जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मछुआरों को वित्तीय सहायता / राहत और मुआवजा प्रदान करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त घटनाओं के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले मछुआरों को मुआवजा प्रदान करने के लिए केरल राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार खाद्य समुद्री प्रजातियों की गुणवत्ता और सुरक्षा तथा पारंपरिक मछली पकड़ने के स्थानों की पारिस्थितिक स्थिरता पर ऐसी घटनाओं के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों के साथ समन्वय कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने प्लास्टिक नर्डल संदूषण, खतरनाक कार्गो रिसाव या पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण के कारण मछली भंडार, प्रजनन स्थलों और तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन किया है अथवा वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए सहायता प्रदान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(छ) क्या सरकार इस संबंध में कोई पुनर्स्थापन उपाय प्रस्तावित करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या मंत्रालय प्रभावित क्षेत्रों में जवाबदेही, सफाई और दीर्घकालिक समुद्री जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पोत परिवहन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर रही है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): 643 कंटेनर ले जा रहे कार्गो वेसल्स MSC ELSA 3 की दुर्घटना 24-25 मई 2025 को कोच्चि, केरल से लगभग 39 समुद्री मील (Nm) दक्षिण में हुई, जबकि MV Wan Hai 503 की दुर्घटना 09 जून 2025 को कोच्चि, केरल से लगभग 130 Nm उत्तर पश्चिम में हुई। केरल सरकार ने सूचित किया है कि MSC ELSA 3 के संदर्भ में, विशेष रूप से तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों के मछुआरों पर 25 मई से 1 जून, 2025 के दौरान प्रभाव पड़ा।

(ख): केरल सरकार ने सूचित किया है कि MSC ELSA 3 के के कारण प्रभावित मछुआरों को SDRF से 1,05,518 समुद्री मछुआरा परिवारों (78,498 समुद्री मछुआरा परिवारों और 24,020 संबद्ध मछुआरा परिवारों सहित) को प्रति परिवार 1000 रुपए की दर से अंतरिम वित्तीय राहत सहायता प्रदान की जा चुकी है, साथ ही दुर्घटना के कारण हुई उनकी आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए प्रति परिवार 6 किलोग्राम चावल भी प्रदान किया गया है।

(ग): जी हां, महोदय।

(घ) से (च): केरल सरकार ने सूचित किया है कि MSC ELSA 3 के संदर्भ में, तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में, केरल राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 25 मई, 2025 को मछुआरों को सलाह जारी की थी, जिसमें मछुआरों को डूबे हुए वेस्सल के 20 समुद्री मील के दायरे में न जाने का निर्देश दिया गया था। केरल सरकार ने सूचित किया है कि संभावित पारिस्थितिक प्रभाव और मात्स्यिकी संसाधनों की सुरक्षा और मछुआरों की आजीविका के लिए आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए 28 मई, 2025 को ICAR-सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीस टेकनोलॉजी (CIFT), ICAR-सेन्ट्रल मरीन फिशरीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMFRI), केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीस एंड ओशिएनिक स्टडीस (KUFOS) के वैज्ञानिकों और मछुआरों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। तदनुसार, 19.06.2025 को, केरल राज्य सरकार द्वारा KUFOS, CMFRI, CIFT, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फूड सेफ्टी, नेशनल हेल्थ मिशन और तटीय पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया गया ताकि हालात की समीक्षा की जा सके और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सैंपलिंग, पानी और मत्स्य का परीक्षण किया जा सके। टेस्ट रिपोर्टों से पता चला कि फिश के सभी नमूने अच्छी स्थिति में थे, और कोई आपत्तिजनक गंध या स्वाद नहीं पाया गया था, और पानी के सैंपल का पीएच, लवणता और प्रवाहकत्व नॉर्मल रेंज के भीतर थी । पानी और मत्स्य के सैंपल के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि उनमें तेल के होने का कोई संकेत नहीं था तथा खतरनाक रसायनों की उपस्थिति को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, और एर्नाकुलम, अलप्पुझा और कोल्लम आदि के तटों से फिश सैंपल उपभोग के लिए सुरक्षित थे। यह भी सूचित किया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्रीफी (NIO) को केरल के पर्यावरण विभाग के माध्यम से अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में बहु-क्षेत्रीय क्षति मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।

(छ) और (ज): मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने केरल तट पर फिश स्टॉक की बहाली और पुनर्स्थापन के उद्देश्य से आर्टिफिशयल रीफ़्स स्थापित करने हेतु 13.02 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। भारत सरकार संबंधित मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से दीर्घकालिक स्थायित्व और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

****